


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 647/2011.....जिला.....चित्तोडगढ.....

विषय- मै0 सोहनलाल जैन एण्ड कम्पनी, निम्बाहेडा बनाम एसीटीओ, वार्ड-प्रथम, निम्बाहेडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मनोहर पुरी – सदस्य</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री वी के पारीक व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपराजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा घोषित एमेनेस्टी योजना, 2015 का व्यवसायी लाभ लेना चाहते है। इस हेतु अपीलार्थी प्रकरण वापस लेना/ (Withdraw) करना चाहते है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा भी प्रकरण Withdrawd करने का समर्थन करा।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी/अभिभाषक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील संख्या 647/2011/चित्तोडगढ को विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p>	